न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 276/2012 दायरा दिनांक :—25.10.2012 निर्णय दिनांक :— 05.04.2021

1. कैलाश पुत्र स्व. श्री लालाराम उर्फ लालू जाति यादव निवासी चॉदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........वादी

बनाम

1. छुटटन पुत्र खेमराम जाति यादव निवासी चॉदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
3. शाखा प्रबन्धक—राजस्थान ग्रामीण बैंक मुण्डावर अलवर राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

दावा इश्तकराररहक दुरूस्ती इन्द्राज मय हु0ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188

राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति— 1. श्री बस्तीराम यादव— वकील वादी

2. श्री गंगाराम पटेल— वकील प्रतिवादी

—:निर्णयः—

दिनांक :— 05.04.2021

आज यह पत्रावली वास्ते सुनाये जाने निर्णय पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि साबिक आराजी ख0न0 289 रकबा 8 बिस्वा हाल ख0न0 383 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर में स्थित होकर राजस्व रिकॉर्ड सवत 2009 तक मिनवादी के पिता लालाराम उर्फ लालू व ताउ भानी सहाय चाचा सगरू के नाम खातेदारी में चली आ रही थी जो सगरू के लावल्द फौत होने के कारण जमाबंदी संवत 2013 के खाता संख्या 102 में वादी के पिता व ताउ भानी सहाय का नाम बाइज्जत खातेदार दर्ज चले आ रहे थे तथा भानी सहाय के लावल्द फौत होने के कारण मिनवादी के पिता लालाराम उर्फ लालु को समस्त तर्का समुन्दर सिंह का प्राप्त हुआ है। वादी के पिता का देहान्त होने उपरांत मिनवादी आज दिन काबिज चली आ रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2017 के खाता संख्या 187 पर भानी सहाय, लालू पुत्रान समुन्दर के नाम साबिक ख0न0 289 दर्ज किये हुये को काटकर प्रतिवादी की खाता संख्या 302 में ख0न0 289 दर्ज किया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त खसरे से कोई वास्ता व सरोकार किसी भी प्रकार का नहीं रहा है ना ही है। बेजा तरीके पर मिनवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्ड़ावर (अलवर)

के पिता जो खातेदार थे उनको केवल काश्तकार दर्ज किया है, इसी प्रकार संवत 2021 के खाता संख्या 360 में भी उक्त ख0न0 पर बहैसियत काश्तकार दर्ज किया गया है एवम प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार उक्त आराजी का दर्ज किया है जो काबिल दुरूस्ती योग्य है। उसके उपरांत ताहाल राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रतिवादी संख्या 1 को ही खातेदार दर्ज किया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का ना तो कभी कब्जाकाश्त रही है और ना ही किसी प्रकार के खातेदार अधिकार हासिल है। चूंकि आराजी मिनवादी की बुजुर्गानी आराजी है एवम समस्त अधिकार आज दिन मिनवादी को आयद है आदि–आदि का निवेदन करते हुये वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री दुरूस्ती इन्द्राजात आराजी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर मिनवादी का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने एवम प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवम प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब दावा पेश किया जो वादपत्र के जिमनों को अस्वीकार करते हुये जवाब दावा का सारतः रहा कि विवादित आराजी से वादी का व वादी के बुजुर्गान का कोई संबंध व सरोकार नहीं था ना कभी रहा है और अगर राजस्व कर्मचारियों से साज बाज रिकॉर्ड में नामांकित करा लिया तो उससे कोई हक खातेदारी के प्राप्त नहीं होते। वादी ने कभी भी काश्त नहीं किया और ना कभी कब्जा रहा। विवादित आराजी प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। आज भी मिन प्रतिवादी काबिज है आदि निवेदन करते हुये वादी के वाद को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गयीः–

1. आया विवादित आराजी साबिक ख0न0 289 के हाल ख0न0 383 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम चॉदपुर तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकॉर्ड संवत 2017 से ताहाल तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज कराने का अधिकारी है। ....जिम्मेवादी
2. आया विवादित आराजी हाल ख0 न0 383 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम चॉदपुर के रिकॉर्ड एवम मौके की यथास्थिति कराने का अधिकारी है। ....जिम्मेवादी
3. आया विवादित आराजी ख0न0 383 वाके ग्राम चांदपुर से वादी का व वादी के बुजुर्गान का कभी भी संबंध व सरोकार नहीं रहा ना ही वादी ने कभी भी आराजी को काश्त किया इसलिए खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ....जिम्मेप्रतिवादी
4. अन्य दादरसी।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में लिखित साक्ष्य स्वरूप नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1, नकल हाल जमाबंदी संवत 2069 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2021 प्रदर्श–4, नकल खसरा गिरदा[illegible] 2018 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी संवत 2017 किता 2 प्रदर्श–6, नकल जमा[illegible] संव[illegible] 2013 प्रदर्श–7, नकल दाखिला खारिज प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी मुशरिक प्रदर्श–[illegible] नकल खसरा टीप संवत 2006 लगायत 2009 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी [illegible] 2001 प्रदर्श–11, नकल खसरा टीप संवत 1998 प्रदर्श–1[illegible] नकल जमाबंदी [illegible] 2017 प्रदर्श–13, नकल जमाबंदी संवत 2010 प्रदर्श–14, नकल जमाबंदी [illegible] 1983 प्रदर्श–15, नकल जमाबंदीयात प्रदर्श–16, 17 एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र कैलाश पी डब्ल्यू–1, गजराज पी डब्ल्यू–2, योगेश पी डब्ल्यू–3, पेश किये जो शामिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:17 IST
Reason: SelfAttested

०५६

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

पत्रावली है। ठीक इसी प्रकार प्रतिवादी ने मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र नित्यानंद पुत्र छोटा डी डब्ल्यू–1 पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

वकील उभयपक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि साबिक ख0न0 289 व हाल ख0न0 383 हमारे बुजुर्गान के नाम संवत 2013 तक लगातार आ रहा है जो मिनवादी के पिता चाचा एवम ताउ के नाम रही है। तत्पश्चात मिनवादी का ताउ भानीसहाय चाचा सगरू लावल्द फौत हो जाने की स्थिति में मिनवादी के पिता के नाम रही है। प्रस्तुत मौखिक गवाहान वादी एवम प्रतिवादीगण ने भी कब्जा हमारा माना है तथा संवत 2017 में भानीसहाय, लालु पुत्रान समुन्दर के नाम दर्ज किये हुये को काटकर प्रतिवादी के खाता संख्या 302 में ख0न0 289 रकबा 8 बिस्वा दर्ज किया गया तथा बेजा तरीके पर मिनवादी के पिता जो खातेदार थे उनको केवल काश्तकार दर्ज किया एवम इसी प्रकार संवत 2021 की खाता संख्या 360 में भी वादी के पिता को बहैसियत काश्तकार दर्ज किया है एवम प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार दर्ज किया है आदि–आदि का अभिकथन करते हुये वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन रहा। ठीक इसी प्रकार वकील प्रतिवादी ने अपने जवाब के जिमनों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि राज0 काश्त0 अधिनियम 15.10.1955 से पूर्व भूमि पर वादी का कोई संबंध नहीं रहा। इस दिन जो कब्जे में था उन्हें खातेदारी दे दी गई थी तथा छुटटन लाला को गोद गया था एवम संवत 2017 के रिकॉर्ड में ख्याली, लाला पुत्र जोरा की जमींन है। गिरदावरी में भी हम ही है। दावा साबित नहीं है आदि–आदि का निवेदन करते हुये वादी के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

उपरोक्तानुसार तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार रहा :–

1. आया विवादित आराजी साबिक ख0न0 289 के हाल ख0न0 383 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम चॉदपुर तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकॉर्ड संवत 2017 से ताहाल तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज कराने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी के जिम्मे रहा है एवम वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1, नकल हाल जमाबंदी संवत 2069 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2021 प्रदर्श–4, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2018 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी संवत 2017 किता 2 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी संवत 2013 प्रदर्श–7, नकल दाखिला खारिज प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी मुशर्रिफ प्रदर्श–9, नकल खसरा टीप संवत 2006 लगायत 2009 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी संवत 2001 प्रदर्श–11, नकल खसरा टीप संवत 1998 प्रदर्श–12, नकल जमाबंदी सं[illegible] संवत 2010 प्रदर्श–14, नकल जमाबंदी संवत 1983 प्रदर्श–15, [illegible]बंदीयात प्रदर्श–16, 17 एवम प्रस्तुत शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 [illegible] बहस वकील वादी द्वारा किये गये अभिकथन के [illegible] यह न्याया[illegible] इस तनकी को बरखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 पाते हुये बहक [illegible]

2. आया विवादित आराजी हाल ख0 न0 383 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम च[illegible]र के रिकॉर्ड एवम मौके की यथास्थिति कराने का अधिकारी है। इस तनकी को भी साबित करने का भार जिम्मेवादी रहा है और जब तनकी नंबर 1 स्पष्ट रूप से बहक वादी स्वीकार योग्य पाई जाती है तो यह न्यायालय इस तनकी को भी बरखिलाफ प्रतिवादी पाते हुये बहक वादी स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

3. आया विवादित आराजी ख0न0 383 वाके ग्राम चांदपुर से वादी का व वादी के बुजुर्गान का कभी भी संबंध व सरोकार नहीं रहा ना ही वादी ने कभी भी आराजी को काश्त किया इसलिए खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे प्रतिवादी रहा है और जब तनकी नंबर 1 व 2 बरखिलाफ प्रतिवादी पाते हुये बहक वादी स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय बहक वादी पाते हुये स्पष्ट रूप से बरखिलाफ प्रतिवादी पाता है।

4. अन्य दादरसी

उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादी के वाद को वादी द्वारा सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाये जाने पर विवादित हाल आराजी ख0न0 383 रकबा 8 बिस्वा अर्थात 0.10 है0 वाके ग्राम चॉदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवम उक्त विवादित आराजीयात के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवम वादी को विवादित आराजीयात के बाबत खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवम बैंक रहन की स्थिति में बैंक ऋण राशि प्रतिवादी संख्या 1 की अन्य आराजीयात से वसूलनीय रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी:– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस

दावा सं.– 276/2012 दायरा दिनांक :–25.10.2012 पर्चा डिक्री दिनांक :– 05.04.2021

1. कैलाश पुत्र स्व. श्री लालाराम उर्फ लालू जाति यादव निवासी चॉदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

........वादी

बनाम

1. छुटटन पुत्र खेमराम जाति यादव निवासी चॉदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
3. शाखा प्रबन्धक–राजस्थान ग्रामीण बैंक मुण्डावर अलवर राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज मय हु0ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188

राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री बस्तीराम यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की ओर से **श्री गंगाराम पटेल एडवोकट** की उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक** 05.04.2021 को **श्री रामसिह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:–**

वादी के वाद को वादी द्वारा सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाये जाने पर विवादित हाल आराजी ख0न0 383 रकबा 8 बिस्वा अर्थात 0.10 है0 वाके ग्राम चॉदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवम उक्त विवादित आराजीयात के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवम वादी को विवादित आराजीयात के बाबत खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवम बैंक रहन की स्थिति में बैंक ऋण राशि प्रतिवादी संख्या 1 की अन्य आराजीयात से वसूलनीय रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.04.2021 [illegible] बाद **हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)